No. 42/03/2025-5HR-II
HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Human Resources-II Branch)

Dated Chandigarh, the 25th July 2025

To

1. All the Administrative Secretaries to Government Haryana.
2. All the Heads of Departments.
3. All the Managing Directors/Chief Administrators of all Boards/ Corporations of Haryana State.
4. All the Divisional Commissioners in the State of Haryana.
5. All the Deputy Commissioners in the State of Haryana.

Subject: - **The Haryana Staff Selection Commission (Process of Recruitment of Group C and D posts) Rules, 2025.**

******

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention to the subject noted above and to say that the Government has notified the Haryana Staff Selection Commission (Process of Recruitment of Group C and D posts) Rules, 2025. The copy of notification No. G.S.R. 10/Const./Art./309/2025 dated 27.05.2025 (English version) amd No. G.S.R.14/Const./Art.309/2025 dated 14.07.2025 (Hindi version) are enclosed herewith for information and necessary action.

Yours faithfully,

Sd/-
Superintendent Human Resources-II
For Chief Secretary to Government Haryana

Endst. No. 42/03/2025-5HR-II

Dated, Chandigarh the, 25th July 2025

A copy alongwith Gazette (Extraordinary) notification No G.S.R.10/ Const./ Art.309/ 2025 dated 27.05.2025 and G.S.R. 114/ Const. /Art.309/ 2025 dated 14.07.2025 are forwarded to the Secretary, Haryana Staff Selection Commission, Panchkula for information and necessary action.

Sd/-
Superintendent Human Resources-II
For Chief Secretary to Government Haryana

भाग—III

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(मानव संसाधन—**II** शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 14 जुलाई, 2025

संख्या सा०का०नि० 14/संवि०/अनु० 309/2025.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ग्रुप ग और घ पदों पर भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (ग्रुप ग और घ पदों की भर्ती प्रक्रिया) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम 27 मई, 2025 से लागू हुए समझे जाएंगे।

परिभाषाएं।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'सीईटी' से अभिप्राय है, जब भी सरकार द्वारा निश्चित किया जाए, ग्रुप ग और घ पदों के लिए अलग—अलग आयोजित की जाने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या इसके निमित्त सरकार द्वारा यथा विनिश्चित किसी अन्य एजेंसी द्वारा संचालित की जाने वाली कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन/ऑफलाइन/ऑप्टिकल मार्क रीडिंग (ओएमआर) आधारित परीक्षा होगी और यह द्विभाषी अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में संचालित की जाएगी;

(ख) 'आयोग' से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;

(ग) 'सरकार' से अभिप्राय है, सामान्य प्रशासन विभाग में हरियाणा सरकार;

(घ) 'संगठन' से अभिप्राय है, राज्य अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय के अलावा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन बोर्ड/निगम/वैधानिक निकाय या कोई अन्य एजेंसी;

(ङ) 'पुलिस सेवा के पद' से अभिप्राय है, गृह विभाग के ग्रुप ग पद, जिसके लिए शारीरिक माप परीक्षण/शारीरिक मानक परीक्षण आवश्यक योग्यताओं में से एक है;

(च) 'शिक्षण पदों' से अभिप्राय है, आयोग द्वारा विज्ञापित पद, जिनके लिए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी) अर्हक करना आवश्यक अर्हताओं में से एक है, तथापि, लिखित परीक्षा की योग्यता सूची तैयार करने के लिए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंक प्रासंगिक नहीं होंगे।

विभागों/संगठनों द्वारा मांग।

3. हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन सभी विभागों और संगठनों के प्रमुख रिक्त ग्रुप ग पदों के लिए अपनी मांग पदों के सुसंगत सेवा नियमों में यथा उपबंधित पात्रता मानदंडों के साथ विनिर्दिष्ट प्रारूप में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्तुत करेंगे। तथापि, विभागों के ग्रुप घ पदों की मांग मानव संसाधन विभाग निदेशालय को भेजी जाएगी, जबकि बोर्ड/निगम इत्यादि अपनी मांग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पृथक रूप से भेजेंगे।

विज्ञापन जारी करना।

4. (I) **विज्ञापन.—** मांग प्राप्त होने पर, भर्ती हेतु उपलब्ध पदों को विज्ञापित पदों के लिए पाठ्यक्रम, कौशल और/या लिखित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया/रीति और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं और/या अनुभव प्राप्त करने की अंतिम तिथि, किसी आरक्षण या छूट का दावा करना, आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा;

(II) **आवेदन आमंत्रित करना.—** (i) विज्ञापन जारी होने पर, आयोग उन पात्र उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन आमंत्रित करेगा, जिन्होंने सीईटी अंकों की योग्यता सूची के आधार पर अनारक्षित प्रवर्ग के मामले में सीईटी में पचास प्रतिशत अंक और आरक्षित प्रवर्ग के मामले में चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।

(ii) पात्र आवेदक से आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर पात्रता और प्रवर्ग अर्थात् अनुसूचित जातियों/अन्य अनुसूचित जातियों/पिछड़ा वर्ग—क/पिछड़ा वर्ग—ख/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले पात्र खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक और शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि में स्कैन किए गए दस्तावेजों /प्रमाण—पत्रों के साथ

एक ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्ररूप (डीएएफ) विनिर्दिष्ट तिथि के बाद प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। विस्तृत आवेदन प्ररूप या पुष्टि में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में किसी भी विलम्ब के कारण कौशल और/या लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारी रद्द होगी। उम्मीदवारों को इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि ऐसे दस्तावेज (दस्तावेजों) को सीईटी परीक्षा के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया था/किए गए थे, कौशल और/या लिखित परीक्षा के लिए किसी भी ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज आरक्षण लाभों हेतु दावों, शैक्षणिक योग्यताओं और अन्य पात्रता शर्तों की पुष्टि में सभी दस्तावेजों को विस्तृत आवेदन प्ररूप के साथ नए सिरे से प्रस्तुत करना होगा।

(III) **पात्रता शर्तें.–** (i) आवेदक द्वारा प्रथम या पश्चात्वर्ती किसी प्रयास में प्राप्त किए गए सीईटी अंक सुसंगत प्रयास के सीईटी परिणाम की घोषणा की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध हैं। यदि वैधता अवधि के दौरान, कोई आवेदक विज्ञापित पद के लिए विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा, जिसमें स्वीकार्य आयु में छूट भी शामिल है, यदि कोई हो, प्राप्त कर लेता है, तो वह लिखित और/या कौशल परीक्षा में बैठने का हकदार नहीं होगा।

(ii) आरक्षण के संबंध में, आरक्षण लाभों (यदि लागू हो) के लिए प्रमाण–पत्र की वैधता विज्ञापित पदों के लिए आवेदन प्ररूप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर विचार की जाएगी और आयोग विज्ञापन में इसका उल्लेख करेगा।

(IV) **आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की शर्तें.–** आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए केवल तभी विचार किया जाएगा जब वह हरियाणा राज्य का मूल निवासी हो और आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कौशल और/या लिखित परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व/तक राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार नए सिरे से आरक्षण का वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

5. 1. **पुलिस सेवा और शिक्षण पदों से अन्यथा ग्रुप ग पदों हेतु.–** भर्ती की प्रक्रिया।

(क) पुलिस सेवा और शिक्षण पदों से अन्यथा सीईटी के अधीन आने वाले ग्रुप ग पदों के मामले में, पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से, कौशल और/या लिखित परीक्षा के लिए बैठने हेतु पात्र उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या, आयोग द्वारा विज्ञापित कुल पदों की संख्या का 10 (दस) गुना होगी।

(ख) **पुलिस सेवा के ग्रुप ग के पद.–**

आयोग सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त योग्यताक्रम के आधार पर, पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार शारीरिक माप परीक्षण और फिर शारीरिक जांच परीक्षण के लिए बुलाएगा। जो दोनों केवल अर्हक प्रवृत्ति के होंगे। आयोग ऐसा उतने बैचों में कर सकता है, जितना वह उचित समझे, ताकि लिखित परीक्षा के लिए अर्हक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा सके।

2. यदि विज्ञापन के अनुसार पद के लिए आवेदन करने वाले अंतिम उम्मीदवार के सीईटी अंक एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो सीईटी कट ऑफ अंकों पर ऐसे सभी उम्मीदवार, जिन्होंने पदों के लिए आवेदन किया है, आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए कौशल और/या लिखित परीक्षा में बैठने के लिए विचार किए जाने के हकदार होंगे। विभिन्न नामों किन्तु समान अर्हताओं और वेतनमानों वाले पदों की मांग प्राप्त होने पर, आयोग इस शर्त के साथ कि वितरण/आबंटन पद के लिए सफल उम्मीदवारों द्वारा दिए गए योग्यता–आधारित विकल्प पर होगा, एक सामान्य कौशल और/या लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम होगा।

3. यदि पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों, जो पात्र हैं, की संख्या उपरोक्त विनिर्दिष्ट सीमा संख्या से कम हैं, तो आयोग अन्य पात्र उम्मीदवारों को आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए वेबसाइट पर नोटिस के प्रकाशन द्वारा तिथि बढ़ा सकता है।

4. सामान्य प्रवर्ग के पद के लिए किसी उम्मीदवार पर विचार करने के लिए, ऐसे उम्मीदवार को चयन/भर्ती हेतु विचार किए जाने के लिए कौशल और/या लिखित परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। आरक्षित प्रवर्ग के पद (चाहे ऊध्र्वाधर या क्षैतिज) के लिए विचार किए जाने के मामले में, उम्मीदवार को पात्रता के प्रयोजन के लिए दस प्रतिशत की रियायत मिलेगी, अर्थात् ऐसे उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कट ऑफ चालीस प्रतिशत होगी।

5. आयोग लिखित/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर संबंधित प्रवर्गों में चयन, अनुशंसा और प्रतीक्षा सूची के लिए उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट करेगा और ऐसे उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

6. किसी उम्मीदवार के कौशल और/या लिखित परीक्षा के कुल अंकों की गणना के लिए, कौशल और/या लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को स्कोर में जोड़ा जाएगा, यदि कोई हो, (पुलिस सेवा के पदों के मामले में एनसीसी के समरूप) ताकि उम्मीदवार को कौशल और/या लिखित परीक्षा के कुल अंक प्राप्त हो सकें।

7. किन्हीं अनुदेशों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आयोग अपने विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि कौशल और/या लिखित परीक्षा के बाद संबंधित प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवार (उम्मीदवारों) की अनुपलब्धता के मामले में, जो पद भरे नहीं जाते हैं, उन्हें आरक्षण नीति के अनुसार पुनः विज्ञापित किया जाएगा।

शिक्षण पदों (ग्रुप ग) हेतु।

6. शिक्षण पदों (ग्रुप ग) के मामले में आयोग, मांगकर्ता विभाग के सेवा नियमों/अनुदेशों में यथा विहित परीक्षा में बैठने हेतु अपेक्षित शर्तों को पूरा करने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग कौशल और/या लिखित परीक्षा में बैठने से पूर्व पात्र और अपात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा और उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा ताकि कोई अपात्र उम्मीदवार आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उस पर अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सके। आयोग, समयबद्ध रीति में आक्षेपों पर विचार करेगा और उसका समाधान करेगा, यदि उम्मीदवारों की शिकायत वास्तविक पाई जाती है।

ग्रुप घ पदों हेतु।

7. हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 में मैट्रिक से कम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाले पदों को छोड़कर, ग्रुप घ पदों के मामले में, आयोग सीईटी अंकों के आधार पर संबंधित प्रवर्गों में चयन, सिफारिश या प्रतीक्षा सूची के लिए उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट करेगा और ऐसे उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। भर्ती के लिए उपलब्ध पदों को आयोग द्वारा सीईटी अंकों की योग्यता सूची के आधार पर उम्मीदवारों के आवेदन/इच्छा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में आमंत्रित करने के लिए विज्ञापित किया जाएगा ताकि यह पता चल सके कि उम्मीदवार पद पर नियुक्त होने का इच्छुक है अथवा नहीं। पात्र उम्मीदवार विज्ञापन में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक अपनी पंजीकरण संख्या का उपयोग करके आयोग की वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन करेंगे। तद्नुसार, आयोग ग्रुप घ पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को नाम की सिफारिश करेगा।

टिप्पणः— केवल ग्रुप घ पदों के लिए अंतिम परिणाम की घोषणा से पूर्व आयोग द्वारा पात्र उम्मीदवारों की इच्छा/सहमति प्राप्त की जाएगी।

प्रश्नपत्र तैयार करना और छपाई करना।

8. आयोग प्रश्नपत्र तैयार और छपाई करते समय पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा। आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किसी भी प्रक्रिया का उल्लंघन न हो।

आरक्षण।

9. आरक्षित प्रवर्गों के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ विज्ञापित पदों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को लागू हरियाणा सरकार के अनुदेशों के अनुसार होगा।

आयु में छूट।

10. आयु सीमा और आयु में छूट का लाभ सरकार द्वारा, समय–समय पर, जारी नियमों या अनुदेशों के अनुसार स्वीकार्य होगा।

बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को प्रतिपूरक समय और लिपिकार की सहायता का प्रावधान।

11. इस संबंध में केन्द्रीय/राज्य सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अध्यधीन आयोग स्वयं ही विज्ञापन में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध लाभों के बारे में विस्तृत अनुदेशों के साथ–साथ बेंचमार्क दिव्यांगता निर्धारित करेगा।

पद अधिमान।

12. आयोग समान शैक्षणिक अर्हताओं और वेतनमान वाले पदों, यद्यपि उनके नाम भिन्न हों, के लिए सामान्य कौशल और/या लिखित परीक्षा संचालित कर सकता है। आयोग, आवेदन आमंत्रित करते समय या बाद में किसी भी चरण में, यदि उचित समझे, पात्र उम्मीदवारों से विभाग के साथ–साथ पदों का विकल्प/अधिमानता प्राप्त कर सकता है। ऐसे मामलों में विभागों/पदों का अंतिम आबंटन योग्यता एवं अधिमानता या अन्यथा, जैसा लागू हो, के आधार पर होगा।

13. (I) केवल वे दस्तावेज, जो उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्ररूप भरते समय अपलोड किए गए थे, संवीक्षा के लिए विचारे जाएंगे, यदि कोई हो। अपलोड किए गए तथा पश्चात्वर्ती प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की भिन्नता पाए जाने की दशा में, ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी। यदि कोई आवेदन अपेक्षित पुष्टि दस्तावेजों और अन्य सुसंगत जानकारी के बिना अपलोड किया गया पाया जाता है, तो उम्मीदवार स्वयं इसके लिए जिम्मेवार होगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकृत किए जाने हेतु दायी होगी। दस्तावेजों की संवीक्षा।

तथापि, आयोग सुसंगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए किसी भी बाद की तिथि को कट ऑफ डेट के रूप में अनुमति देने और बाद के चरण में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि यह उम्मीदवार के हित में आवश्यक समझे।

(II) चयनित और अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदन प्ररूपों के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की असलीयत की जांच सेवा नियमों/अनुदेशों के अनुसार नियुक्ति देने के समय मांगकर्ता विभाग द्वारा की जाएगी।

14. आयोग, अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा की उत्तर कुंजी को अंतिम परिणाम घोषित करने से पूर्व अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा तथा आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ओर अवधि के भीतर सभी इच्छुक उम्मीदवारों से उत्तर कुंजी पर आक्षेप आमंत्रित करेगा। आयोग ऐसी सभी आक्षेपों पर विचार करेगा तथा यदि कोई आक्षेप असली पाया जाता है, तो उत्तर कुंजी को तद्नुसार पुनरीक्षित किया जाएगा। किसी प्रश्न या उसके उत्तर के सहीपन का निर्णय करने के लिए आयोग राज्य विश्वविद्यालयों इत्यादि जैसी संस्थाओं से लिए गए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेगा, जिनकी विश्वसनीयता उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में किसी भी संदेह से परे होगी तथा जिनका विवरण गोपनीय रहेगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन इस प्रकार गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार किया जाएगा। उत्तर कुंजी का प्रकाशन।

15. आयोग, नीतिगत मामले को छोड़कर, किसी भी उम्मीदवार की किसी भी शिकायत को दूर करेगा, जो भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हो सकती है। उक्त शिकायत पर आयोग का अंतिम निर्णय व्यथित उम्मीदवार को संसूचित किया जाएगा। शिकायतों को दूर करना।

16. आयोग, प्रत्येक कौशल और/या लिखित परीक्षा का परिणाम निम्नलिखित विवरण के साथ घोषित करेगा, अर्थात्:– परिणाम की घोषणा।

कौशल और/या लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के परिणाम की घोषणा:–

1	विज्ञापन संख्या:	
2	पंजीकरण संख्या/अनुक्रमांक:	
3	नाम और प्रवर्ग संख्या:	
4	कौशल और/या लिखित परीक्षा की तिथि:	
5	परिणाम/प्राप्त अंक:	

पद आबंटन के साथ अंतिम परिणाम

1	विज्ञापन संख्या	
2	नाम, प्रवर्ग संख्या और विभाग/बोर्ड/निगम का नाम	
3	पंजीकरण संख्या/अनुक्रमांक :	
4	कौशल और/या लिखित परीक्षा की तिथि	
5	अंतिम परिणाम	

आयोग, लिखित में कारण देने के बाद स्वप्रेरणा से या किसी न्यायालय के आदेशों/शिकायतों/किन्हीं अभ्यावेदनों इत्यादि के आधार पर, यदि इसकी संतुष्टि हो जाती है कि परिणाम को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है, तो आयोग विज्ञापित पदों के लिए घोषित परिणाम को पुनरीक्षित करने के लिए सक्षम होगा।

आयोग द्वारा उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के नाम का चयन/सिफारिश।

17. योग्यता के अनुक्रम में पात्र उम्मीदवारों के नाम नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए संबंधित विभाग को अनुशंसित किए जाएंगे और ऐसा उम्मीदवार सीईटी अंकों के आधार पर उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नब्बे दिन के बाद समान वेतन स्तर के पद पर आगे चयन के लिए विचार किए जाने हेतु अपात्र होगा, जब तक कि वह सीईटी में नए सिरे से उपस्थित नहीं होता और नए सीईटी अंक प्राप्त नहीं कर लेता।

प्रतीक्षा सूची।

18. प्रतीक्षा सूची के संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित जारी अनुदेश संख्या 42/06/2019–2जी.एस.–I, दिनांक 25 जून, 2019 लागू होंगे।

अभिलेख का रखरखाव।

19. कौशल और/या लिखित परीक्षा का अभिलेख हार्ड प्रति में परिणाम की घोषणा से एक वर्ष के लिए संरक्षित किया जाएगा और अभिलेख की डिजिटल प्रति पांच वर्ष तक रखी जाएगी।

प्रतिरूपण और कदाचार के दोषी उम्मीदवारों के विरूद्ध कार्रवाई।

20. (i) यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के संचालन के दौरान या उसके बाद, किसी भी चरण में किसी भी अनाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे (उम्मीदवार और प्रतिरूपणकर्ता) आयोग की परीक्षा से विवर्जित कर दिया जाएगा। संबंधित विवरण आयोग द्वारा विज्ञापन में ही विनिर्दिष्ट किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति/संगठन लोक परीक्षा में किसी अनुचित साधन का प्रयोग करता है, तो वह "हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2021" (2021 का 25) या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होगा।

(ii) आयोग उम्मीदवारों को उनके बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर करने के लिए किसी भी समय बुलाने के लिए सक्षम होगा। परीक्षा के समय और किसी अन्य चरण में लिए गए बायोमेट्रिक डेटा में बेमेल होने की दशा में, उम्मीदवार की उम्मीदवारी, प्रतिरूपण के आधार पर रद्द कर दी जाएगी और उसे भविष्य की परीक्षाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा।

आयोग का निर्णय अंतिम होना।

21. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मिथ्या सूचना के लिए शास्ति, चयन के ढंग, परीक्षा (परीक्षाओं) को शार्टलिस्ट करना, परीक्षा (परीक्षाओं) का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आबंटन और योग्यताक्रम सूची तैयार करना और आबंटन, प्रतीक्षा सूची तैयार करना और जारी करना, अनाचार में लिप्त होने पर विवर्जन जारी करना इत्यादि से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार नहीं किया जाएगा।

अनुदेश जारी करने की शक्ति।

22. सामान्य प्रशासन विभाग किसी भी परीक्षा के उचित संचालन के लिए आयोग की सहायता और सहयोग देने के लिए किसी भी विभाग या प्राधिकरण को अनुदेश जारी करने के लिए सक्षम होगा।

संशोधन/निर्वचन/छूट देने की शक्ति।

23. इन नियमों के किसी भी उपबंध के निर्वचन, परिवर्तन, संशोधन, छूट और संदेह को दूर करने की शक्ति सरकार के पास होगी।

अनुराग रस्तोगी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

11976—L.R.—H.G.P., Pkl.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 96-2025/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 27 मई, 2025

(जयेष्ठ 6, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग--I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	GSR 10/Const./Article 309/2025 Dated 27-05-2025 Haryana Staff Selection Commission (Process of Recruitment of Group C and D Posts) Rules, 2025	2939—2943
	(केवल अंग्रेजी में)	
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

PART—III

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(HUMAN RESOURCES-II BRANCH)

Notification

The 27th May, 2025

No. G.S.R. 10/Const./Art. 309/2025.— In exercise of the powers conferred under article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to regulate the recruitment on Group C and D posts by direct recruitment through Haryana Staff Selection Commission, namely:-

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Haryana Staff Selection Commission (Process of Recruitment of Group C and D posts) Rules, 2025.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise require as,-

(a) 'CET' means the Common Eligibility Test to be held separately for Group C and D posts as and when decided by the Government which shall be computer-based online/offline/Optical Mark Reading (OMR) based test to be conducted by the Haryana Staff Selection Commission or any other agency on its behalf as decided by the Government and it shall be bilingual i.e. conducted in Hindi and English;

(b) 'Commission' means the Haryana Staff Selection Commission;

(c) 'Government' means the Government of Haryana in the General Administration Department;

(d) 'Organization' means the Boards/Corporations/Statutory Bodies or any other agency owned and controlled by the State Government other than any University established by or under a State Act;

(e) 'Post of police service' means Group-C posts of Home Department for which Physical Measurement Test/Physical Standard Test is one of the essential qualifications;

(f) 'teaching posts' means the posts advertised by the Commission for which qualifying of Haryana Teachers Eligibility Test (HTET) is one of the essential qualifications, however, marks of HTET shall not be relevant for preparation of merit list of written examination;

Requisitions by Departments/ Organizations

3. All Head of the Departments and Organizations under the control of Haryana Government shall submit their requisitions for vacant Group-C posts to the Haryana Staff Selection Commission in the specified format with the eligibility criteria as provided in the relevant service rules of the posts. However, the requisition of Group-D posts of Departments shall be sent to Directorate of Human Resources Department while Boards/Corporations etc. shall send their requisition to Haryana Staff Selection Commission separately.

Issuance of advertisement

4. (I) **Advertisement.-** On receipt of requisitions, the posts available for recruitment shall be advertised by the Commission along with syllabus, procedure/ manner of conducting skill and/or written examination for the advertised posts and last date for attaining minimum educational qualifications and/or experience, claiming of any reservation or relaxation.

(II) **Inviting of applications.-** (i) On an advertisement being issued, the Commission shall invite the applications electronically from the eligible candidates those who had secured fifty percent marks in CET in case of unreserved category and forty percent in case of reserved category based on the merit list of CET marks.

(ii) Eligible applicant shall be required to submit an Online Detailed Application Form (DAF) alongwith scanned documents/certificates in support of eligibility and category viz. Deprived Scheduled Castes/Other Scheduled Castes/Backward Classes-A/Backward Classes-B/ Economically Weaker Section/ Eligible Sports Persons with Benchmark Disabilities/Ex-servicemen and Educational Qualification, within such period as specified by the Commission. Any delay in submission of the Detailed Application Form or documents in support beyond the specified date shall lead to cancellation of candidature for the Skill and/ or written examination. The candidates shall be required to submit all the documents in support of the claim for any vertical or horizontal reservation benefits, educational qualifications and other eligibility conditions alongwith Detailed Application Form for Skill and/or Written Examination afresh, irrespective of the fact that any of such document(s) was/were submitted with application for CET examination.

(III) **Eligibility conditions.-** (i) The CET marks obtained by an applicant in the first or any subsequent attempt are valid for a period of three years from the date of declaration of result of CET of the respective attempt. If during the validity period, an applicant attains the upper age limit, including the relaxation in age admissible if any, specified for the advertised post, he shall not be entitled to appear in written and/or skill examination.

(ii) In respect of reservation, the validity of certificate for reservation benefits (if applicable) shall be considered on the closing date of submission of application form for the advertised posts and the Commission shall mention the same in the advertisement.

(IV) **Conditions to get the benefit of reservation.-** A candidate of reserved category shall be considered to grant the benefit of reservation only in case he is domicile of the State of Haryana and submit the valid certificate of reservation afresh in accordance with the instructions issued by State Government from time to time before/upto the closing date of application for skill and/or written examination as specified by the Commission.

Process of recruitment

5. 1. **For Group-C posts other than the posts of police service and teaching posts.-**

(A) In case of Group-C posts covered under CET other than the posts of police service and teaching posts, out of candidates applying for the post, the maximum number of candidates eligible to appear for the skill and/or written examination shall be 10 (Ten) times of total number of posts advertised by the Commission.

(B) **Group C Posts of police service.-**

The Commission shall invite adequate number of candidates on the basis of merit obtained by them in Common Eligibility Test (CET), for Physical Measurement Test and then for Physical Screening Test both of which shall be of qualifying nature only. The Commission may do so in such number of batches, as it deems necessary, so as to shortlist qualified candidates for written test.

2. If the CET marks of the last candidate who has applied for the post in terms of the advertisement is achieved by more than one candidate, then all such candidates at the cut off CET marks who have applied for the posts shall be entitled to be considered for appearing in the skill and/or written examination for the post(s) advertised by the Commission. On receipt of requisitions of the posts of different nomenclature but of similar educational qualifications and pay scales, the Commission shall be competent to hold one common skill and/or written examination with the condition that the distribution/allocation shall be on merit- based option given by the successful candidates for the post.

3. In case the number of candidates applying for the posts who are eligible is less than the number limit specified above, the Commission may extend the date by publication of notice on the website for enabling further eligible candidates to apply.

4. For consideration of a candidate against a post of general category, such candidate has to secure minimum fifty percent marks in the skill and/or written examination to be considered for selection/recruitment. In case of consideration against the reserved category post (whether vertical or horizontal) the candidate shall receive a concession of ten percent for the purpose of eligibility, i.e. the minimum cut off for such candidates shall be forty percent.

5. The Commission shall on the basis of marks obtained in the written/skill examination shortlist the candidates for selection, recommendation and waiting list in the respective categories and publish the list of such candidates on the website.

6. For calculation of total marks of skill and/or written examination of a candidate, the marks obtained in skill and/or written examination shall be added to the score, if any, (like NCC in case of post of police service) to arrive at the total marks of skill and/or written examination of the candidate.

7. Save as otherwise provided in any instructions the Commission shall clearly mention in its advertisement that in case of non-availability of eligible candidate(s) of respective category after the skill and/or written examination for the post which remain unfilled, the same shall be re-advertised as per reservation policy.

6. In case of Teaching posts (Group-C), the Commission shall conduct written examination for all eligible candidates fulfilling the requisite conditions to appear in the exam as prescribed in the service rules/instructions of indenting department. The Commission shall prepare the list of eligible as well as in-eligible candidates before appearing for the skill and /or written examination and shall publish the same on its website so that any in-eligblie candidate may submit his/her objections to the same within the time specified by the Commission. The Commission shall, in a time bound manner consider the objections and resolve the same, if the grievance of the candidates is found genuine. For Teaching Posts (Group-C)

7. In case of Group-D posts excluding the posts where minimum educational qualification is below matriculation in the Haryana Group-D employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018, the Commission shall on the basis of CET marks shortlist the candidates for selection, recommendation or waiting list in the respective categories and publish the list of such candidates on the website. The posts available for recruitment shall be advertised by the Commission to invite the application/willingness electronically of the candidates based on the merit list of CET marks to know whether the candidate is willing to be appointed on the post. The eligible candidates shall apply electronically on the website of the Commission using their Registration Number by such last date, as may be indicated in the advertisement. Accordingly, the Commission shall recommend the name to the concerned department for appointment to Group-D posts. For Group-D posts

Note:- For Group-D posts only willingness/consent of the eligible candidates shall be obtained by the Commission before declaration of final result.

8. The Commission shall maintain complete secrecy while setting and printing of question papers. The Commission shall ensure that there shall be no breach of any process, as specified by the Commission for the conduct of examination. Setting and printing of question paper

9. Benefit of reservation to the persons of reserved categories shall be as per the Haryana Government instructions applicable as on the closing date of submission of application form for the advertised posts. Reservation.

10. The age limit and benefit of age relaxation shall be admissible as per rules or instructions issued by Government from time to time. Relaxation in Age.

Provision of compensatory time and assistance of scribe to persons with benchmark disabilities.

11. Subject to the prevailing instructions of the Central/State Government in this regard, the Commission shall prescribe the benchmark disabilities as well as detailed instructions regarding the benefits available for candidates with benchmark disabilities in the advertisement itself.

Post preferences.

12 The Commission may conduct the common skill and/or written examination for the posts having similar educational qualifications and pay scales, though their nomenclature may be different. The Commission may obtain option/preferences of Department as well as posts, as applicable from the eligible candidates at the time of inviting application itself or at any later stage if deemed fit. The final allocation of departments/posts in such cases shall be on the basis of merit-cum-preference or otherwise, as applicable.

Scrutiny of documents.

13. (I) Only those documents which have been uploaded by the candidate while filling up the application form shall be considered by the Commission for the purpose of scrutiny, if any. In case of any variation in the document uploaded and produced at any subsequent stage, the candidature of such candidate shall be cancelled/rejected. If any application is found to have been uploaded without the requisite supporting documents and other relevant information, the candidate himself/herself shall be responsible for the same and his/her candidature shall be liable to be cancelled/rejected.

However, Commission reserves the right to allow any later date as cut off date for submission of relevant documents and to ask for any additional documents at later stage, if deems necessary in the interest of the candidate.

(II) The genuineness of documents uploaded by the selected and recommended candidates with their application forms shall be done by the indenting department at the time of giving appointment as per service rules/Instructions.

Publication of answer key.

14. The Commission shall publish the answer key of every examination conducted by it, on its website before declaring the final result and shall invite objections on the answer key from all interested candidates within a further period as specified by the Commission. The Commission shall consider all such objections and if any objection(s) is found genuine, the answer key shall be revised accordingly. To decide the correctness of any question or answer thereof, the Commission shall constitute a Committee of experts drawn from the institutions like State Universities etc. whose credentials shall be beyond any doubt regarding evaluation of answer sheets and whose detail shall remain confidential. The answer sheets shall be evaluated as per the report of the experts Committee so constituted.

Redressal of grievances.

15. The Commission shall redress any grievance except on the policy matter of any candidate which may arise during the recruitment process. The final decision of the Commission on the said grievance shall be communicated to the aggrieved candidate.

Declaration of result.

16. The Commission shall declare the result of each skill and or written examination with the following details, namely.-

Declaration of Result of Marks obtained by each candidate who appeared in Skill and/or Written Examination:

1	Advt. No. :	
2	Registration No./Roll No.:	
3	Name of Post and Category Number:	
4	Date of skill and or written examination:	
5	Result/Marks obtained:	

Final Result with post allocation:

1	Advt. No.	
2	Name of Post, Category Number and Name of Department/Board/ Corporation	
3	Registration no./Roll No	
4	Date of skill and or written examination	
5	Final result	

The Commission either suo moto after giving reason in writing or on the basis of any Court orders/Complaints/any representation etc., if it is satisfied that there is need to revise the result, shall be competent to revise the result declared for the posts advertised by the Commission.

17. The names of eligible candidates in order of merit shall be recommended to the concerned department to issue appointment letter and such candidate shall be ineligible to be considered for further selection on the post of same pay level after ninety days from the date of joining on the said post based on the CET marks unless he appears afresh in CET and obtains a new CET marks. Selection/ recommendation of name of candidate (s) by the Commission.

18. With regard to waiting list the instructions issued by the office of Chief Secretary *vide* No. 42/06/2019-2GS-I dated 25/06/2019 as amended from time to time shall be applicable. Waiting list.

19. The record of skill and/or written examination shall be preserved for one year from the declaration of result in hard copy and the digital copy of record shall be retained for five years. Maintenance of record.

20. (i) If any candidate is found to indulge at any stage in any of the malpractices during the conduct of examination or thereafter, his/her candidature shall be cancelled and he/she (candidate and impersonator) shall be debarred from the examination of the Commission. Action against candidates guilty of impersonation and misconduct.

The relevant details shall be specified by the Commission in the advertisement itself. In addition to above, if any person/organization indulges in any unfair means in public examination, he/she shall be liable for action under "the HARYANA PUBLIC EXAMINATION (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) ACT, 2021" (25 of 2021) or any other law as applicable at that point of time.

(ii) The Commission shall be competent to call candidates anytime to capture their biometric data. In case of mismatch in biometric data taken at the time of examination and at any other stage, the candidature of candidate shall be cancelled on grounds of impersonation and he/she shall be debarred from the future examinations.

21. The decision of the Commission in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications, penalty for false information, mode of selection, short-listing for examination(s), conduct of examination(s), allotment of examination centers and preparation of merit list and allocation, preparation and issuance of waiting list, issuance of debarment for indulging in malpractices etc. shall be final and binding on the candidates and no enquiry/ correspondence shall be entertained in this regard. Commission's decision to be final.

22. The General Administration Department shall be competent to issue instructions to any Department or an authority to assist or to aid the Commission for proper conduct of any examination. Power to issue instructions.

23. The power to interpret, change, amend, relax and removal of doubt of any provision of these rules shall lie with the Government. Power to amend/ interpret/relaxation.

ANURAG RASTOGI,
Chief Secretary to Government Haryana.

11892—L.R.—H.G.P., Pkl.